अनुलग्नक–1

अपार (APAAR) आईडी बनाने के लिए छात्र के पिता/माता/कानूनी अभिभावक की सहमति पत्र

स्कूल के नाम :...

यू–डायस कोड :...

मैं, (पिता/माता/कानूनी अभिभावक का नाम ....), पिता/माता/कानूनी अभिभावक .... के रूप में पहचान प्रमाण **(आधार/पैन/ईपीआईसी/डीएल/पासपोर्ट)** प्रमाण संख्या **(आई0डी0 नंबर**..................................), **(छात्र/छात्रा का नाम)** ...., स्वेच्छा से छात्र/छात्रा का आधार नंबर तथा आधार प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी जनसांख्यिकीय जानकारी निम्नलिखित आशय एवं उद्देश्य हेतु आटोमेटेड परमानेन्ट एकेडमिक एकाउन्ट रजिस्ट्री (APAAR) आई0डी0 बनाने और डिजिलॉकर खाता खोलने में प्रयुक्त करने के लिये शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ।

मैं समझता/समझती हूँ कि मेरी APAAR आई0डी0 का उपयोग और साझा सीमित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय–समय पर शैक्षिक और संबंधित गतिविधियों के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। इसके अलावा मुझे यह भी पता है कि मेरी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, लिंग और फोटो) विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों जैसे कि यू–डायस डेटाबेस, छात्रवृत्ति, शैक्षणिक रिकॉर्ड के रखरखाव, शैक्षिक संस्थानों और भर्ती एजेंसियों जैसे अन्य हितधारकों में लगी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जा सकती है।

मैं शिक्षा मंत्रालय को उपरोक्त उद्देश्य के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार यूआईडीएआई के साथ आधार आधारित प्रमाणीकरण करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता हूं। मैं समझता हूं कि यूआईडीएआई सफल प्रमाणीकरण के बाद मेरे ई–केवाईसी विवरण या 'हां' का जवाब शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करेगा।

मैं समझता/समझती हूं कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और कानून द्वारा अपेक्षित होने को छोड़कर किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताई जाएगी।

मैं समझता/समझती हूं कि मैं किसी भी समय सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता हूं और मेरी सहमति वापस लेने पर, मेरी साझा की गई जानकारी का प्रसंस्करण बंद हो जाएगा, हालांकि, पहले से संसाधित किया गया कोई भी व्यक्तिगत डेटा सहमति की ऐसी वापसी पर अप्रभावित रहेगा।

सहमति का दिनांक : ....

सहमति का स्थान : ....

....

(पिता/माता/कानूनी अभिभावक हस्ताक्षर)

मै .... **(प्र0अ0/प्रधानाचार्य/प्राधिकृत शिक्षक/कर्मचारी का नाम)** एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि **(छात्र का नाम)**.., के पिता/माता/कानूनी अभिभावक ने, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आटोमेटेड परमानेन्ट एकेडमिक एकाउन्ट रजिस्ट्री (APAAR) आई0डी0 बनाने, डिजिलॉकर खाता खोलने और यू–डायस प्लस में पहचान सत्यापन के लिए आधार प्रदान करने की सहमति प्रदान की गयी है।

दिनांक : ....

....

(प्र0अ0/प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर व मुहर)

SARKARIKALAM ✍️